भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2854

दिनांक 28 **मार्च**, 2022

एलपीजी नेटवर्क का विस्तार

2854#. **श्री सतीश चंद्र दुबे**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने देश भर में कई हजार वितरकों की नियुक्ति करके तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) नेटवर्क के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किए जाने वाले एलपीजी वितरकों की कुल संख्या कितनी है और विस्तार को रोकने के क्या कारण है;

(ग) क्या ओएमसी ने संभावित वितरकों से कोई जमा राशि एकत्र की है;

(घ) यदि हां, तो उनके पैसे वापस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या मौजूदा वितरकों के पास उनके उपभोक्ताओं की कोई उच्चतम सीमा है, यदि हां, तो वह क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) और (ख): जी, नहीं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की नियुक्ति करना एक सतत प्रक्रिया है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना हेतु स्थलों की पहचान बिक्री संभाव्यता के आधार पर की जाती है जो इन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाता है। दिनांक 01.03.2022 की स्थिति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के देश भर में 25,218 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (यूएसजी) के चयन हेतु एकीकृत दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अखिल भारतीय आधार पर 6411 स्थलों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए हैं और 5293 स्थलों को पहले से ही चालू कर दिया गया है।

(ग) और (घ): ओएमसीज भावी डिस्ट्रीब्यूटरों से किसी प्रकार की जमा राशि एकत्र नहीं करती हैं। तथापि, ड्रा में सफल आवेदकों को निम्न प्रकार से प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन (एफवीसी) शुल्क जमा करना अपेक्षित है:-

डिस्ट्रीब्यूटरशिप की श्रेणी	**सामान्य**	**ओबीसी**	**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति**
शहरी/रर्बन वितरक	50,000	40,000	30,000
ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	40,000	30,000	20,000

चयन होने की स्थिति में ओएमीसीज द्वारा उपर्युक्त एफवीसी शुल्क को सुरक्षा जमा राशि में समायोजित कर दिया जाता है और आवेदन के रद्द होने के मामले में यह शुल्क ज़ब्त हो जाता है।

(ड.): ग्राहकों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, तथापि, बाजार के प्रकारों के आधार पर रीफिल की अधिकतम सीमा है। यूएसजी के अनुसार विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्रों की रीफिल संबंधी अधिकतम सीमा निम्नवत है:

डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र की श्रेणी	2011 **की जनसंख्या जनगणना के अनुसार**	**प्रति माह रीफिल की अधिकतम सीमा**
शहरी वितरक	40 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर	20,000
	20 से 40 लाख की आबादी वाले शहर	15,000
	10 से 20 लाख की आबादी वाले शहर	12,000
रर्बन वितरक	10 लाख से कम आबादी वाले कस्बे	10,000
ग्रामीण वितरक	गांव/गांवों का समूह	5,000
दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	गांव/गांवों का समूह	1,500

****